राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(28)ग्रावि/नरेगा/राज.उच्च.न्या./2012–13 जयपुर, दिनांक : 14 MAY 2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषयः– **Regarding Hon'ble High Court, Rajasthan directions issued on 27.08.2012 in S.B. Civil Writ Petition No. 11153/2011 Suo Moto vs. State of Rajasthan**

संदर्भः– **विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ4(9)पंरावि/पी.सी./वर्षा जल संरक्षण/2011–12 दिनांक 30.07.2012**

महोदय,

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/11 सुओ मोटो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबन्ध में समय–समय पर दिए गए आदेशों के क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबन्ध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है कि कुछ जिलों में माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कार्यवाही नही की गयी है तथा विभिन्न विभागों द्वारा जारी निर्देशों की भी पालना नही की जा रही है। इस संबन्ध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के द्वारा जारी परिपत्र में दिए गए निर्देशों को पुनः निम्नानुसार दोहराया जाता है :–

- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित किसी भी योजना में भविष्य में बहाव क्षेत्र में एनिकट अथवा अन्य किसी प्रकार के जल संरक्षण/संचयन स्ट्रक्चर्स का निर्माण क्षेत्र में वर्षा के उचित सर्वे के बिना (मुख्य रूप से पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा बांध के बहाव क्षेत्र में उपयुक्त Over Flow की उपलब्धता) नहीं किया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इस प्रकार के निर्माण की ऊँचाई किसी भी हालात में निम्नतम तल से 2.0 मीटर से अधिक नही हो।

- बहाव क्षेत्र में विभाग की महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित किसी भी योजना में सडक निर्माण आवश्यक होने पर, सडक निर्माण इस प्रकार किया जावे कि पानी के अविरल बहाव में रूकावट उत्पन्न नही हो अर्थात इस स्थिति में सडक निर्माण करते

समय बहाव क्षेत्र में पानी के अविरल बहाव हेतु पर्याप्त Cross Drainage Works (CD Works) का प्रावधान किया जावे।

- विभाग द्वारा बहाव क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ भू आवंटन/ भू–संपरिवर्तन नही किया जावे एवं ना ही कोई आवासीय कॉलोनी विकसित की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(श्रीमत् पाण्डे)
प्रमुख शासन सचिव